न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 1141 सन 2020
अनवान :–

1. केशीदेवी पत्नी श्रीराम जाति सुथार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. चन्दरबाल पुत्री श्रीराम जाति सुथार निवासी परलीका तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. मेहरचन्द पुत्र श्रीराम जाति सुथार निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. खंजान्चीलाल पुत्र श्रीराम जाति सुथार निवासी परलीका तहसील नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 22/3/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा चक 3 आरएमएस के खाता संख्या 39/33 की कुल 3.0360हैक एवं रोही मोज चक 20 एनटीआर के खाता संख्या 75/70 की कुल 2.0240हैक भूमि वादीगण एवं तरतीबी प्रवितादी के नाम सयुक्त खाते में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी संख्या 1 का नाम बोगी देवी व बागोदेवी एवं वादी संख्या 2 का नाम चन्द्रा एवं वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी की जाति सुनार दर्ज कर रखी है जबकि वादी का सही नाम केशीदेवी वादी संख्या 2 का नमा चन्दरबाल एवं वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी की जाति सुथार है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादीगण/तरतीबी प्रतिवादी का नाम /जाति गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम केशीदेवी चन्दरबाल व जाति सुथार है यही नाम/जाति सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादीगण के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादीगण का नाम केशीदेवी एवं चन्दरबाल एवं जाति सुथार दर्ज है रोही मौजा चक 2 आरएमएस की जमाबन्दी में जाति सुथार अंकित है किन्तु अन्य राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बागोदेवी ख बोगीदेवी एवं चन्द्रा जाति सुनार दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर बागोदेवी, बोगीदेवी एवं चन्द्रा जाति सुनार के स्थान पर केशीदेवी चन्दरबाल एवं वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादी की जाति सुनार के स्थान पर सुथार संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित होकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिलस किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 3 आरएमएस के खाता संख्या 39/33 की कुल 3.0360हैक एवं रोही मोज चक 20 एनटीआर के खाता संख्या 75/70 की कुल 2.0240हैक भूमि वादीगण एवं तरतीबी प्रवितादी के नाम सयुक्त खाते में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उक्त भूमि मे वादी संख्या 1 का नाम बोगी देवी व बागोदेवी एवं वादी संख्या 2 का नाम चन्द्रा एवं वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी की जाति सुनार दर्ज कर रखी है जबकि वादी का सही नाम केशीदेवी वादी संख्या 2 का नमा चन्दरबाल एवं वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी की जाति सुथार है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादीगण/तरतीबी प्रतिवादी का नाम /जाति गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम केशीदेवी चन्दरबाल व जाति सुथार है यही नाम/जाति सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादीगण के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादीगण का नाम केशीदेवी एवं चन्दरबाल एवं जाति सुथार दर्ज है रोही मौजा चक 2 आरएमएस की जमाबन्दी में जाति सुथार अंकित है किन्तु अन्य राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बागोदेवी ख बोगीदेवी एवं चन्द्रा जाति सुनार दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा चक 3 आरएमएस के खाता संख्या 39/33 की कुल 3.0360हैक एवं रोही मोज चक 20 एनटीआर के खाता संख्या 75/70 की कुल 2.0240हैक भूमि

वादीगण का कथन है कि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय केशीदेवी चन्द्राबल जाति सुथार के स्थान पर केशीदेवी, चन्द्रा व जाति सुनार दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादीगण का नाम क्रमशः केशीदेवी , चन्दरबाल व जाति सुथार दर्ज है वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादीगण का नाम केशीदेवी , चन्द्राबल होना प्रतित होता है वादीगण ने अपने नाम/जाति के समर्थन में सरंपच का प्रमाण पत्र भी पेश किया जिसके अनुसार भी वादीगण के सही नाम उक्तानुसार होना प्रतीत होताह`

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र/संरपच की तस्दीक /पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सरपंच ग्रम पंचायत कानसर के प्रमाण पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 आरएमएस के खाता संख्या 39/33 की कुल 3.0360हैक एवं रोही मोज चक 20 एनटीआर के खाता संख्या 75/70 की कुल 2.0240हैक भूमि वादी संख्या 1 के नाम बागोदेवी, बोगीदेवी के स्थान पर केशीदेवी उफ बोगीदेवी एवं वादी संख्या 2 का नाम चन्द्रा के स्थान पर चन्द्राबल उर्फ चन्द्रा एवं वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी की जाति सुनार के स्थान पर सुथार संशोधन की जाति है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/3/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. केशीदेवी पत्नी श्रीराम जाति सुथार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. चन्दरबाल पुत्री श्रीराम जाति सुथार निवासी परलीका तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2 मेहरचन्द पुत्र श्रीराम जाति सुथार निवासी परलीका तहसील नोहर।

3 खंजान्चीलाल पुत्र श्रीराम जाति सुथार निवासी परलीका तहसील नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1141 सन 2020 निर्णय दिनांक–

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 आरएमएस के खाता संख्या 39/33 की कुल 4.3010हैक एवं रोही मोज चक 20 एनटीआर के खाता संख्या 75/70 की कुल 2.0240हैक भूमि वादी संख्या 1 के नाम बागोदेवी, बोगीदेवी के स्थान पर केशीदेवी उर्फ बोगीदेवी एवं वादी संख्या 2 का नाम चन्द्रा के स्थान पर चन्द्राबल उर्फ चन्द्रा एवं वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी की जाति सुनार के स्थान पर सुथार संशोधन की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/3/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर